

## FORM NO. III


### फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... रामअवतार

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-03 सन्-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-03/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
23.05. 2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम पाखर 2 भूमि ख0न0 304 रकबा 0.03 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ता पर गैरसायल रामअवतार पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी सायपुर पाखर द्वारा जोत लगा कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा पुनः सीमाज्ञान की मांग की जिसके लिए राजस्व टीम का गठन किया गया। दिनांक 19.05.2022 को गठित राजस्व टीम मौके पर सीमाज्ञान करने पहुंची तो गैर सायल एवं उनके परिवार जनों द्वारा सीमाज्ञान नहीं करने दिया गया। जिससे गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 1.32 रुपये का 50 गुणा 66 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखल, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">               तहसीलदार              तहसील मण्डावर (दौसा)         </p>	